प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 – फारम सं0 562

अभिलेख संख्या ....

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार :– अतिक्रमण वाद सं0- 07/24-25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
19/10/24	उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1610/रा0, दिनांक-12/08/24 के द्वारा सिराजुद्दीन अंसारी, पिता कलीमुद्दीन अंसारी, पता-पूर्वबाला क्षेत्र, तांतरी, पो0-तुपकाडीह, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा मौजा-तांतरी, खाता सं0-103, प्लॉट सं0-1995 पर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में Jharkhand Public Land Encroachment Act 2011 के तहत अतिक्रमणकारी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-04/11/2024 को उपस्थापित करें। 19/10/24 अंचल अधिकारी जरीडीह	

प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अभिलेख संख्या ....

अनुसूची 14 – फारम सं0 562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार :– अतिक्रमण वाद सं 07 /24-25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
04/11/24	दोनों पक्ष उपस्थित। मामला DPLR से संबंधित है। प्रथम पक्ष सिराजुद्दीन अंसारी का दावा विशेष भू-अर्जन के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर पंचाटी – इलाकु मियाँ पिता दुन्दी मियाँ फ्रांक 119 दिनांक 29/02/24 के आलोक में दावा किया जा रहा है। अगली तिथि में DPLR कार्यालय एवं विशेष भू अर्जन कार्यालय प्रमाण को संकलित करें। अगली तिथि 27/11/24 को रखें। [illegible]/11/24 अंचल अधिकारी जरीडीह	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
27/11/24	उभय पक्ष उपस्थित। इस मामले में DPLR एवं अंचल अमीन का संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही निष्पादन संभव है। अगली तिथि में DPLR के प्रतिनिधि को उपस्थित होने हेतु पत्र भेजें। अभिलेख दिनांक - 20.12.24 को रखें। 27/11/24 अंचल अधिकारी, जरीडीह
20.12.24	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष को लिखित जवाब देने हेतु निर्देश दिया गया। अभिलेख दिनांक- 03.01.25 को रखें। 20/12/24 अंचल अधिकारी, जरीडीह
03/01/25	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। उनके द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष एक ही वंशज के सदस्य हैं, एवं DPLR द्वारा अधिग्रहित भूमि के आवंटन में दोनों पक्षों के बीच विवाद है। दोनों पक्ष अपने - अपने पूर्वज के नाम से पर्चा आवंटन होने के आधार पर दावा करते हैं। मामला पूर्णतः DPLR से संबंधित है अतः आवेदक DPLR की शरण ले सकते हैं। उक्त विवेचना के आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 03/01/2025 अंचल अधिकारी, जरीडीह

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.01.16 18:01:15 +05:30
Location: 10.93.250.200